

## प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 03.02.2024

### अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शस्त्रों की तस्करी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 महेश कुमार चौबे मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अशरफ खान पुत्र याकूब खान निवासी ग्राम परदेसवा पोस्ट मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को एक अदद अवैध शस्त्र (देशी तमंचा) 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अशरफ खान पुत्र याकूब खान निवासी ग्राम परदेसवा पोस्ट मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 58/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 509/2023 धारा 304,504,506 भा0द0वि0 व 3(2)(va) SC/ST Act थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर
3. मु0अ0सं0 518/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर

### बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 महेश कुमार चौबे चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. का0 धनवन्तर वर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 विजय कुमार शुक्ला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर